(3)

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संचिका संख्या–01 / स्था०न्यायालय–941 / 2019 पटना, दिनांक अक्टूबर, 2026

कार्यालय आदेश

श्री भगवान सिंह, सेवानिवृत लिपिक (दिनांक–31.01.2004 को सेवानिवृत), कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा द्वारा प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी.डब्लू.जे.सी. सं०–22867 / 2019 दायर किया गया।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–1858 दिनांक–01.10.2026 द्वारा श्री भगवान सिंह, सेवानिवृत लिपिक, कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा को विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा सर्वसम्मति से की गई अनुशंसा के आधार पर श्री सिंह को दिनांक–11.04.1990 से सेवा सम्पुष्ट करते हुए बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में श्री भगवान सिंह, सेवानिवृत लिपिक, कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा को दिनांक–09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम वित्तीय उन्नयन वेतनमान (रूपये)–4500–125–7000 एवं दिनांक–23.11.2003 के प्रभाव से द्वितीय वित्तीय उन्नयन वेतनमान (रूपये)–5000–150–8000 में स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त के फलस्वरूप सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा के कार्यालय आदेश संख्या–94 दिनांक–14.10.2026 द्वारा श्री सिंह को 23453 / – (तेइस हजार चार सौ तिरपन रूपये) बकाया वेतन (दिनांक–09.08.1999 से 31.01.2004 तक) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा के कार्यालय आदेश संख्या–93 दिनांक–14.10.2026 द्वारा 7896 / –(सात हजार आठ सौ छियानवें रूपये) अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद अंतर राशि की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा का पत्रांक–467 दिनांक–23.10.2026 के द्वारा श्री भगवान सिंह, सेवानिवृत लिपिक, कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा का HRMS में Employee Information Data प्रविष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा के कार्यालय में लिपिकीय संवर्ग के 04 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 04 कर्मी पदस्थापित हैं। उक्त कार्यालय में लिपिकीय संवर्ग का कोई भी पद रिक्त नहीं होने के कारण HRMS में इन्ट्री नहीं हो पा रही हैं।

उक्त न्यायिक वाद दिनांक–03.11.2026 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है।

श्री भगवान सिंह, सेवानिवृत लिपिक, कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा का HRMS में Employee Information Data प्रविष्ट कर भुगतान करने हेतु श्री उदय नारायण सिंह, निम्नवर्गीय लिपिक, कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा को उप निदेशक, ईख विकास, पूसा (समस्तीपुर) के कार्यालय में पदस्थापित करते हुए कार्यहित में सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. श्री भगवान सिंह, सेवानिवृत लिपिक को परिणामी आर्थिक लाभ के भुगतान के उपरांत यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा।

P.T.O.

Rajesh Ji Letter

3. सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा श्री भगवान सिंह, सेवानिवृत लिपिक को परिणामी आर्थिक लाभ का भुगतान करते हुए इसकी सूचना मुख्यालय, उप निदेशक, ईख विकास, पूसा (समस्तीपुर), कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा एवं समस्तीपुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/–
(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/स्था०न्यायालय–941/2019 पटना, दिनांक अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/स्था०न्यायालय–941/2019 पटना, दिनांक अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा (समस्तीपुर)/श्री उदय नारायण सिंह, निम्नवर्गीय लिपिक, कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा/श्री राजेश कुमार सिंह, सदस्य (भा०ज०पा०), बिहार विधान सभा, 137, मोहिउद्दीन नगर, विधान सभा क्षेत्र, पता–अनुग्रह नगर, बलुआही, मोहिउद्दीन नगर, समस्तीपुर/श्री भगवान सिंह सेवानिवृत लिपिक, कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा स्थायी पता–ग्राम–शाह आलमपुर, पोस्ट–जौनपुर, भाया–मोहिउद्दीन नगर, जिला–समस्तीपुर पिन कोड–848501 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/स्था०न्यायालय–941/20192055 **पटना, दिनांक** 30**अक्टूबर, 2026**

प्रतिलिपि–~~आई~~०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।